अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजेश्वर बनाम गिरधारी

तारीख पेशी	167/2020 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री रूपक शर्मा श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
21.9.20	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ स्थगन प्रार्थन पत्र पेश हुई । विद्वान अभिभाषक अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण/अपीलांटस वादग्रस्त आराजियात के सह–खातेदार काश्तकार है जिनका अपने–अपने हिस्से पर कब्जा है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अपीलांटस कब्जे व उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा वादग्रस्त आराजियात को अन्यंत्र हस्तातंरण बेचान करने पर आमादा है । अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस/प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु होने के बावजूद प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । ऐसी स्थिति में यदि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त आराजियात का बेचान, हस्तातंरण कर दिया जाता है तो इसका सीधा प्रभाव अपीलांटस के हक व अधिकारों पर पड़ेगा । अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाक 9.9.2020 को निरस्त किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने तथा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को ताफैसला अपील वादग्रस्त आराजी के बेचान से पाबंद किया जावे। हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस की बहस सुनकर अपने आदेश पारित किया है कि विवादित आराजियात पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजियात है इस कारण एक अभिलिखित खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी करने के आदेश पारित कर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.10.2020 नियत की है । अधी0न्याया0 के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें पक्षकारों की साक्ष्य एवं सुनवाई के उपरांत ही निर्णय किया जावेगा । अपीलांटस का न्यायालय हाजा के समक्ष यह कथन रहा है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मूल वाद के निस्तारण से पूर्व विवादित आराजियात को बेचान, हस्तातंरण करने पर आमादा है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण के शीघ्र निस्तारण किये जाने हेतु अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 को आवश्यक रूप से 30 दिवस में गुणावगुण पर निर्णित करे । अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 को आवश्यक रूप से 30 दिवस में गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । 21/9/2020 राजस्व अपील प्राधिकारी	